...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...त्र संख्या :—34 / 2021 दायर दिनांकः 12.04.2021

...MS NO:- 2021/68

...सीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

1. किशनलाल आत्मज मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. महावीर आ0 मांगीलाल जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. बदाम पत्नी बन्ना लाल पुत्री मांगीलाल जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल निवासी कोटडा तहसील देवली जिला टोंक।
4. कैलाशी पत्नी पानमल पुत्री मांगीलाल जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल निवासी भाणोली तहसील देवली जिला टोंक।
5. संतरा पत्नी प्रयागमल पुत्री मांगीलाल जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल निवासी कम्पू टोंक जिला टोंक।
6. उर्मिला पत्नी रामकैलाश पुत्री मांगीलाल जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम बोसरिया तहसील अलीगढ जिला टोंक।

—वादीगण—

बनाम

1. पोखर गोदपुत्र दल्ला जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
   1/1. जगदीश प्रसाद पुत्र पोखर जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
   1/2. मथुरा पुत्री पोखर जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां हाल बालागढ जिला टोंक
   1/3. सुगना पुत्री पोखर जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां हाल देवपुरा।
2. रामदेव आ0 चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बून्दी राजस्थान।
4. भूमिधारी सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,53,188 आर.टी एक्ट

निर्णय दिनांक 02.10.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी में खाता संख्या 32 संवत् 2062—65 में कृषि भूमि खसरा संख्या 273/332 रकबा 10 बिस्वा, ख0सं0 301 रकबा 23 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा एवं खाता संख्या 33 संवत् 2062—65 में कृषि भूमि खसरा संख्या 135 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 137 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 148 रकबा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 156 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 187 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ख0सं0 199 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, ख0सं0 213 रकबा 2 बीघा 19 बिस्त्रा, खसरा संख्या 292 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा, ख0 सं0 297 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 299 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 67 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 32 की कृषि भूमियों का तन्हा खातेदार कृषक नारायण आ0 जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवां था एवं खाता संख्या 33 की कृषि भूमि का वह 1/2 हिस्से का सह खातेदार था। नारायण जी की मृत्यु दिनांक 14.11.1992 को हो चुकी है। स्व0 श्री नारायण जी का सजरा खानदान इस प्रकार है कि नारायण जी के दो पुत्र मांगीलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 पोखर हुए। नारायण जी की पत्नी का स्वर्गवास नारायण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

पहले हो चुका था। मांगीलाल जी का भी स्वर्गवास हो चुका है। मांगीलाल जी क वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 6 है। प्रतिवादी संख्या 1 पोखर, नारायण जी के जीवनकाल में ही नारायण जी की मृत्यु से करीब 40 वर्ष पूर्व अपनी बाल्यावस्था में दल्ला आ0 हरबक्ष जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां जो स्व0 नारायण के फूफा थे, के गोद चला गया था। जिसे हिन्दू विधि एवं रीति रिवाज के अनुसार नारायण जी ने गोद दिया था व दल्ला जी ने गोद लिया था। तब से वह दल्ला जी का गोदपुत्र हो गया व नारायण जी के परिवार से कोई सम्बन्ध नही रहा। पोखर का विवाह भी दल्ला जी ने ही करवाया था। तथा दल्ला की मृत्यु के पश्चात उसकी पगडी भी पोखर के ही बंधी थी। नारायण जी की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में उक्त कृषि भूमि में नारायण जी के स्थान पर खातेदार कृषक उनके पुत्र मांगीलाल बने। पोखर के दल्ला के गोद चले जाने से वह दल्ला की सम्मत्ति का वारिस बन गया व उसका नारायण जी की सम्पत्ति में कोई अधिकार नही रहा था। नारायण जी की मृत्यु होने के पश्चात उनकी सम्पत्ति के वैध वारिसान केवल वादीगण ही है। क्योकि अब मांगीलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 पोखर ने अवैध एवं अनाधिकृत रूप से फर्जी तरीके से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों के सम्बन्ध में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिली भगत करके फौती नामान्तकरण संख्या 373 दिनांक 11.01.08 खुलवा लिया और दल्ला जी का गोद पुत्र होते हुए भी इस तथ्य को छिपा कर नारायण का ही पुत्र बताते हुए खाता संख्या 32 में अपना हिस्सा 1/2 व खाता संख्या 33 में अपना हिस्सा 1/4 वादीगण के साथ साथ दर्ज करवा लिया व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियां कर दी। यह वाद का कारण है। नामान्तकरण वादीगण की बिना जानकारी उनके पीठ पीछे अवैधानिक रूप से तस्दीक किया गया था। इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 32 की कृषि भूमियों के तन्हा खातेदार कृषक वादीगण और खाता संख्या 33 की भूमियों के सह खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 32 की भूमियों पर तन्हा खातेदार कृषक की हैसियत से नारायण जी व मांगीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् अब केवल मात्र वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। और खाता संख्या 33 की कृषि भूमि पर 1/2 हिस्से पर वादीगण का व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा काश्त है। यह कि प्रतिवादी पोखर अवैध इन्द्राज का नाजायज लाभ उठाकर ताकत के बल पर वादीगण को चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। यह भी वाद का कारण है। अतः वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे न्यायालय द्वारा अपने आपको उक्त विवादित भूमियों के हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित करवाये एवं तदानुसार इन्द्राल दुरूस्ती करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवायें।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपना जवाव दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम रालडी तहसील नैनवां मं स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 32 की खसरा संख्या 301 रकबा 23 बीघा जिसका पुराना खसरा संख्या 228/2 है के पूर्व खातेदार प्रतिवादी सं. पोखर के दत्तक ग्रहीता पिता दल्ला वल्द बरबद्घा कौम जाट तन्हा खातेदार काबिज थे। उक्त भूमि को नारायण वल्द जगन्नाथ जो वादीगण 1 लगायत 6 के पितामह थे ने अपनी खातेदारी में गुपचुप तरीके से राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध व अनाधिकृत रूप से अपनी खातेदारी में दर्ज करवा लिया। उक्त भूमि पर नारायण का कोई हक अधिकार व आधिपत्य किसी भी तरह से आज दिन तक नही रहा है। खसरा संख्या 301 जो खाता संख्या 32 की 23 बीघा भूमि है पर नारायण ने नाम इन्द्राज पूर्ण अवैध, अनाधिकृत प्रभावशून्य है। उक्त भूमि खाता संख्या 32 खसरा संख्या 301 रकबा 23 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 पोखर का ही निरन्तर निर्माण कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 पोखर द्वारा अपने हकों की घोषणा हेतु पृथक् से अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का वाद उक्त भूमि के सम्बन्ध में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

पत्रावली में प्रस्तुत वाद पत्र , शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात एवं जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आदि के विस्तृत विवेचन

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

...बात कायम के पश्चात् दिनांक 01.03.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा निर्णय ...या एवं डिक्री जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय दिनांक 01.03.2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय ...स्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 16.02.2018 से ...यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 निरस्त किया गया। तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 16.02.2018 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई, जिसके निर्णय दिनांक 11.02.2021 से अपीलान्ट्स की द्वितीय अपील खारिज कर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा का निर्णय यथावत रखा जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां को प्रतिप्रेषित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की अनुपालना में वाद पत्र पुनः क्रमांक 34/दावा/2021 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कोर्ट केम्प रजलावता में पेश हुई। पक्षकारान को नोटिस बाद तामील पत्रावली में संलग्न किये गए। बावजूद सूचना के वादीगण उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण की ओर से जगदीश उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री हसन मियां उपस्थित हुए। बहस सुनी गई। पत्रावली में पूर्व में लिखित बहस पेश की जा चुकी थी। उसी को रिकार्ड पर लेने हेतु वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया।

हमने वाद पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात एवं जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आदि के विस्तृत विवेचन किया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर पाया गया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 32 खसरा संख्या 273/332 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 301 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा के पूर्व खातेदार दल्ला आ0 हरबक्ष जाट थें प्रदर्श–19 से साबित होता है। उक्त 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि जर्ये नामान्तकरण संख्या 24 से धारा 19 आर.टी. एक्ट में नारायण आ0 जगन्नाथ के खातेदारी में दर्ज हुई, प्रदर्श–ए10 से साबित है। तथा भूमि 23 बीघा 10 बिस्वा जर्ये नामान्तकरण संख्या 373 से हिस्सा 1/2 किशनलाल, महावीर आदि के खातेदारी में दर्ज हुई, जो प्रदर्श–9 है। प्रतिवादी संख्या 1 पोखर नारायण आ0 जगन्नाथ जी का पुत्र था जो बाद में दल्ला जी के गोद चला गया।

उक्त प्रकार से उक्त 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण के नाम का इन्द्राज अनाधिकृत होने से प्रतिवादी संख्या 1 पोखर उस सम्पूर्ण भूमि पर खातेदार आसामी की हैसियत प्राप्त कर चुका है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खाता सं. 33 की भूमि किता 10 कुल रकबा 67 बीघा 09 बिस्वा के पूर्व खातेदार जगन्नाथ आ0 रामलाल कोम जाट थे, प्रदर्श–36,प्रदर्श–38 है। जगन्नाथ जी के दो लडके चतरभुज व नारायण थे प्रदर्श–38, प्रतिवादी संख्या 1 पोखर के मूल पिता उक्त नारायण आ0 जगन्नाथ जी जाट थे। उक्त 67 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पोखर की पुश्तैनी थी प्रदर्श–38, पोखर दल्ला ली का दत्तक पुत्र था। पोखर को दल्ला जी ने गोद लिया था। पोखर के गोद जाने से पूर्व ही जगन्नाथ जी की उक्त भूमि मे नारायण जी ने अपना हक प्राप्त कर लिया था। जिसमें पोखर के गोद जाने से पूर्व ही हित निहित हो गये थे।

उक्त प्रकार से भूमि 67 बीघा 09 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 1 पोखर की पुश्तैनी थी जिसमें पोखर ने जन्म से ही अधिकार अर्जित कर लिये थे जो पोखर जी के गोद जाने से समाप्त नही होते है। उक्त प्रकार से खाता संख्या 32 की 23 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का कोई हक व अधिकार आधिपत्य नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 पोखर को खातेदार आसामी घोषित कर वर्तमान रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टि में इन्द्राज दुरूस्त कर उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी पोखर के खातेदारी में दर्ज किया जाना विधी सम्मत एवं न्यायहित में प्रतीत होता है। खाता संख्या 33 की कुल

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:30:04 IST
Reason: SelfAttested

10 कुल रकबा 67 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 पोखर की पुश्तैनी होने व दल्ला जी के जाने से पूर्व ही हित अर्जित कर लेने से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 पोखर का हिस्सा 1/4 प्रविष्टि पूर्ण वैधानिक है। उक्त हिस्से 1/4 मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 पोखर के हिस्से की भूमि का पृथक राजस्व खाता कायम किया जाना विधी सम्मत एवं न्यायहित में प्रतीत होता है।

हमने वाद पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात एवं जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आदि के विस्तृत विवेचन किया। बहस सुनी गई। चूंकि वाद पत्र में पूर्व में तन्कीयात कायम की जा चुकी थी, अतः पत्रावली में साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया गया। वादीगण की ओर से कोई भी व्यक्ति या गवाह उपस्थित नही है। साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। प्रतिवादी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य को ही साक्ष्य प्रतिवादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। निवेदन स्वीकार किया गया। पत्रावली में पूर्व में प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालयों की विभिन्न नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

आदेश

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 पोखर द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम रालडी तहसील नैनवां जिला बून्दी स्थित खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 301 रकबा 23 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 पोखर दत्तक पुत्र दल्ला जाति जाट निवासी रालडी तहसील नैनवां के वारिसान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादीगण किशनलाल, महावीर, बदाम, कैलाशी, संतरा, उर्मिला का नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम रालडी तहसील नैनवां की खाता संख्या 32 खसरा संख्या 301 रकबा 23 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 पोखर के वारिसान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें। उक्त भूमि पर वादीगण जबरन कब्जा नहीं करें। खाता संख्या 33 के खसरा संख्या 135,137,148,156,187,199,213,292,297,299 कुल किता 10 कुल रकबा 67 बीघा 09 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 पोखर के वारिसान को उसके हिस्से 1/4 की भूमि से बेदखल नहीं करे तथा भूमि के उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हों। निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested